मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक 11 / 04 / 2019

एफ क्रमांक 12–07 / 2018 / सत्रह / मेडि–3:: आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी सम संख्यक आदेश दिनांकित 24.11.2018 में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है:–

1. आदेश दिनांकित 24.11.2018 की कंडिका क्रमांक–2 में शासकीय चिकित्सालयों हेतु 60 प्रतिशत राशि को पैकेज की तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो कि निम्नानुसार है :–

क्रमांक (1)	पैकेज की श्रेणी (2)	रोगी कल्याण समिति (RKS)को दी जाने वाली राशि (3)	स्टॉफ इन्सेंटिव (4)
अ	A	80%	20%
ब	B	70%	30%
स	C	60%	40%

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांकित 24.11.2018 की उक्त कंडिका क्रमांक–2 निम्नानुसार संशोधित की जाती है :–

"शासकीय चिकित्सालयों हेतु आरक्षित 472 पैकेजेस की वर्तमान में निर्धारित तीन श्रेणी यथा A, B एवं C में वर्गीकरण किये जाने में लगने वाले समय एवं व्यावहारिक समस्या को दृष्टिगत रखते हुए केवल एक श्रेणी रखी जावे जिसमें शासकीय चिकित्सालयों में उपचार होने पर, सभी पैकेजेस की राशि को 70:30 में विभक्त किये जाने के स्थान पर 60:40 में विभक्त किया जावे। पैकेज की स्वीकृत राशि में से 60 प्रतिशत राशि संबंधित चिकित्सालय के आर.के.एस. अकाउंट में एवं 40 प्रतिशत राशि स्टाफ इंसेंटिव के रूप में वितरित की जावे।"

कंडिका क. 2 में वर्णित i- सर्जिकल प्रोसीजर्स एवं ii- मेडिकल प्रोसीजर्स हेतु पदवार अंकित स्टॉफ इंसेंटिव की राशि का प्रतिशत यथावत रखते हुये निम्नानुसार मेडिकल ऑफीसर को स्टॉफ इंसेंटिव दिया जावे:–

"संबंधित शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल आफीसर को रू. 20 / – (रू. बीस) मात्र प्रति प्रकरण (योजना अंतर्गत सी.पी.डी. एप्रूब्ड प्रत्येक क्लेम) का भुगतान किया जावेगा, इस हेतु प्रति माह अधिकतम सीमा रू. 20,000 / – (रू. बीस हजार) निर्धारित की गई।

उक्त राशि 40 प्रतिशत राशि स्टाफ इंसेंटिव के रूप में वितरित की जाने वाली राशि में से भुगतान योग्य होगी।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.11.2018 में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगें।

(पल्लवी जैन गोविल)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

निरंतर.....

क्रमांक एफ 12–07/2018/सत्रह/मेडि–3 भोपाल दिनांक 11 /04/2019

प्रतिलिपिः–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल। (वेबसाइट पर अपलोड करे,
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत। 1250 Hospital.
7. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत,
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/4/19

उप सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल